राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र

न्यायालय तहसीलदार तहसील बडौनी जिला दतिया (म.प्र.)

(2)

मामला क्रमांक : 0072/अ–6/2022–23

(3)

जयदेवी वेवा शालिगराम दुवे निवासी ग्राम सिनावल तह0 बडौनी जिला दतिया म.प्र.

—————आवेदकगण

बनाम

सर्व साधारण

आदेश पारित दिनांक (........28.10.2022..........)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक जयदेवी दुवे वेवा शालिगराम दुवे निवासी ग्राम सिनावल तह0 बडौनी जिला दतिया म0 प्र0 के द्वारा मौजा सिनावल में स्थित सर्वे न0 317 रकवा 1.53 हे0 मे से भाग 89/153 भूमि पर वारिसान के आधार पर नामांतरण कराने हेतु म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 एवं मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आवेदन पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र के न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण अ–6 में दर्ज किया गया। विधिवत उद्घोषणा जारी की गई। उद्घोषणा तामील वाद प्राप्त अंदर म्याद कोई अपत्ति प्राप्त नही हुई।

प्रकरण में हल्का पटवारी सिनावल से रिपोर्ट ली गई हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया कि मौजा सिनावल में स्थित सर्वे कमांक 317 रकवा 1.53 हे0 मे से भाग 89/153 भूमि पर शालिगराम पुत्र राजाराम ब्रा. भूमि स्वामी स्वत्व दर्ज है। शालिगराम पुत्र राजाराम ब्रा फौत के वारिसान जयदेवी वेवा शालिगरान शैलेन्द्र पुत्र शालिगराम भावना, सीमा पुत्रिया शालिगराम, ही वैध वारिसान है।

मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया। पटवारी की रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सें मृतक शालिगराम पुत्र राजाराम ब्रा. की मृत्यु की पुष्टि होनें सें मौजा सिनावल में स्थित सर्वे कमांक 317 रकवा 1.53 हे0 मे से भाग 89/153 पर मृतक शालिगराम पुत्र राजाराम ब्रा के वैध वारिसान जयदेवी वेवा शालिगराम शैलेन्द्र पुत्र शालिगरान भावना, सीमा पुत्रियां शालिगराम निवासीगण ग्राम सिनावल के नाम पर पटवारी सिजरा रिपोर्ट के आधार पर सम भाग पर नामांतरण स्वीकार किया जाता है।

आदेश का अमल हल्का पटवारी राजस्व अभिलेख में करे। प्रकरण दायरा पंजी से अंक कम होकर दाखिल रिकॉर्ड हों। पक्षकार सूचित हो।

28.10.2022

तहसीलदार

तहसील बडौनी

प्रतिलिपिः—

आदेश की एक प्रति हल्का पटवारी ग्राम सिनावल की ओर राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने हेतु प्रेषित।

28.10.2022

तहसीलदार

तहसील बडौनी